संख्या-174/2025/295के-2/22-3-2024-17(987)/23

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुमित यादव पुत्र श्री भगवानदास, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-23888/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-06.07.2023), दिनांक 24.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुमित यादव पुत्र श्री भगवानदास, निवासी मैरी, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का रहने वाला है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30-03-2007 को बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल व तमंचों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को (1) जी0एस0टी0 सं0-92/07 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (यू0पी0 गैंगस्टर व एंटी सोशल एक्टीविटी प्रिवेन्शन एक्ट), झांसी के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित है। (2) जी0एस0टी0 नं0-32/2003 में यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की धारा-3 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गिरोहबन्द अधिनियम, झांसी द्वारा 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-04-2023 तक 15 वर्ष, 11 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, बंदी के विरूद्ध 01 अन्य वाद विचाराधीन है तथा बन्दी की आयु 45 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा बंदी की शारीरिक दशा एवं आयु को देखते हुए बंदी के रिहा होने पर विपक्षियों द्वारा बंदी के ऊपर अपराध घटित होने, दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त होने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्याय प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुमित यादव पुत्र श्री भगवानदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुमित यादव (बंदी संख्या-27149) पुत्र श्री भगवानदास, निवासी जनपद-झांसी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-295(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 174/2025/295के-2/22-3-2024-17(987)/23

दिनांक 28 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुमित यादव पुत्र श्री भगवानदास, निवासी मैरी, थाना-नवाबाद, जनपद-झांसी का रहने वाला है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30-03-2007 को बंदी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल व तमंचों से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को (1) जी0एस0टी0 सं0-92/07 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (यू0पी0 गैंगस्टर व एंटी सोशल एक्टीविटी प्रिवेन्शन एक्ट), झांसी के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लंबित है। (2) जी0एस0टी0 नं0-32/2003 में यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट की धारा-3 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गिरोहबन्द अधिनियम, झांसी द्वारा 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15-04-2023 तक 15 वर्ष, 11 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 02 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, बंदी के विरूद्ध 01 अन्य वाद विचाराधीन है तथा बन्दी की आयु 45 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा बंदी की शारीरिक दशा एवं आयु को देखते हुए बंदी के रिहा होने पर विपक्षियों द्वारा बंदी के ऊपर अपराध घटित होने, दोनों पक्षों में तनाव व्याप्त होने तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्याय प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुमित यादव पुत्र श्री भगवानदास को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in